

## राज्यपाल भाग-II



# राज्यपाल (भाग-2)

### गवर्नर्स कमेटी (1971)

- इसने केंद्र को राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में एक नियमित रिपोर्ट भेजने के लिये राज्यपाल का उत्तरदायित्व निर्धारित किया।
- यह रिपोर्ट आगे चलकर अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने का कारण बन सकती है।

01

### प्रमुख मुद्दे

- अनुच्छेद 356 को लागू करने में राज्यपाल की भूमिका - केंद्र द्वारा प्रायः इसका दुरुपयोग।
- मतभेद की स्थिति में राज्यपाल-राज्य सरकार की भूमिका/कार्यों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कोई संवैधानिक दिशानिर्देश नहीं।
- अक्सर राज्य सरकारों द्वारा राज्यपाल के संदर्भ में केंद्र के एजेंट, कठपुतली और रबर स्टैम्प जैसे नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है।

02

### महत्त्वपूर्ण आयोगों द्वारा की गई सिफारिशें

- प्रशासनिक सुधार आयोग (1968):
  - ▶ अनुच्छेद 356 के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ होनी चाहिये और इसे राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से तैयार किया जाना चाहिये।
- राजमन्तार समिति (1971):
  - ▶ संविधान से अनुच्छेद 356 और 357 को रद्द कर दिया जाए लेकिन केंद्र की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध आवश्यक प्रावधानों को बनाए रखें
- सरकारिया आयोग (1988):
  - ▶ अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिये।
- न्यायमूर्ति वी. चेलैया आयोग (2002):
  - ▶ अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रक्रियाओं को समाप्त करने के बाद ही किया जा सकता है:
    - ❖ अनुच्छेद 256 (संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुपालन में राज्य की कार्यकारी शक्ति)
    - ❖ अनुच्छेद 257 (राज्य की कार्यकारी शक्ति जो संघ की कार्यकारी शक्तियों को बाधित न करे)
    - ❖ अनुच्छेद 355 (राज्य सरकारों द्वारा संविधान के प्रावधानों का अनुपालन करें)
- पुंजी आयोग (2010):
  - ▶ अनुच्छेद 355 तथा 356 में संशोधन किया जाना चाहिये

03

### सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय

- एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994):
  - ▶ संवैधानिक तंत्र की विफलता राज्य में शासन चलाने में केवल एक कठिनाई को ही नहीं बल्कि एक आभासी असंभवता को भी दर्शाती है। इस निर्णय में संवैधानिक तंत्र की विफलता को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया:
    - ❖ राजनीतिक संकट
    - ❖ आंतरिक अंतर्द्वंद्व
    - ❖ भौतिक असफलता
    - ❖ संघ कार्यकारिणी के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करना
- नबाम रेडिया निर्णय (2016):
  - ▶ राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति (अनुच्छेद 163) मनमानी नहीं होनी चाहिये, बल्कि उचित कारण द्वारा निर्धारित होनी चाहिये
- जी.पी. सिंचल वाद (2010):
  - ▶ राज्यपाल को हटाने के राष्ट्रपति के निर्णय को बाध्यकारी और वैध माना जाएगा लेकिन यदि राज्यपाल न्यायालय का रुख करता है, तो केंद्र को अपने निर्णय फंसले को सही सिद्ध करना होगा।

04